न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –24 / 2024 (अपील)

जीसीएमएस न0 2024 / 80

1. देवरी उर्फ देवबाई उर्फ देवली बाई पुत्री तुलस्या पत्नी गंणेशराम जाति लश्करी निवासी आमा की झोंपडिया अमरसरा पलायता तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान जर्ये मुख्तार आम मोहम्मद इमरान अली
2. मन्जू बाई पुत्री स्व0 श्री बसन्ती पत्नी श्री लक्ष्मीप्रसाद निवासी ग्राम परलिया की झोंपडिया, अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. शम्भू बाई पुत्री स्व0 श्री बसन्ती पत्नी श्री राधेश्याम निवासी वार्ड नम्बर 44 रंगतालाब, अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. रोशन बाई पुत्री स्व0 श्री बसन्ती पत्नी श्री पन्नालाल निवासी खारी बावडी मैन रोड गांधी कॉलोनी, माला फाटक तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री बसन्ती (पिता रोशनलाल) निवासी माता जी की चबूतरी के पास ग्राम मवासा कैथून जिला कोटा राजस्थान जर्ये मुख्तार आम रोनक चित्तौड़ा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. सुखलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. पूरणमल पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. धनराज पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा
4. भूलीबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी घांसीलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. रजयन्ती पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी सत्यनारायण जाति लश्करी निवासी बालाकुण्ड तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. मनभर बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी टीकमचन्द जाति लश्करी निवासी बालाकुण्ड तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. मतबला उर्फ मधुबाला पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
8. लक्ष्मी बेवा स्व0 कजोड जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
9. आकाश पुत्र स्व0 कजोड जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. दीपक पुत्र स्व0 कजोड जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11. निर्मला पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी रामरतन जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
12. कमला पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी रामस्वरूप जाति लश्करी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
13. मोत्या बाई पत्नी स्व0 रामचन्द्र जाति लश्करी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
14. प्रभूलाल पुत्र स्व0 रतनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
15. बाली बाई पुत्री स्व0 रतनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

16. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
17. बृजमोहन पुत्र स्व0 रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
18. पृथ्वीराज पुत्र स्व0 रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
19. कल्याणी बाई पुत्री स्व0 रामलाल पत्नी धन्नालाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
20. जगन्नाथ पुत्र स्व0 रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
21. राजेन्द्र पुत्र रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
22. जसोदा पुत्री स्व0 रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
23. राजन्तीबाई पुत्री स्व0 रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
24. प्रभूलाल पुत्र स्व0 कंचन बाई एवं गोरधनलाल जाति लश्करी निवासी देवनारायण मन्दिर के पास बालिता रोड कुन्हाडी कोटा
25. प्रेमबाई पुत्री स्व0 कंचन बाई पत्नी हंसराज जाति लश्करी निवासी वार्ड नम्बर 1, फूसरा राजनपुरा जिला बारां
26. छीतरलाल पुत्र कंचन बाई एवं गोरधनलाल जाति लश्करी निवासी देवनारायण मन्दिर के पास बालिता रोड कुन्हाडी कोटा
27. बाबूलाल पुत्र स्व0 कंचन बाई एवं गोरधनलाल जाति लश्करी निवासी देवनारायण मन्दिर के पास बालिता रोड कुन्हाडी कोटा
28. हरली पुत्री तुस्या पत्नी केसरीलाल जाति लश्करी निवासी भोई मोहल्ला कोटडी जिला कोटा हाल निवासी पुरोहित जी की टापरी, डिस्पेन्सरी के पास कोटा जंक्शन
29. रामस्वरूप पुत्र स्व0 शंकरी बाई जाति लश्करी निवासी ग्राम अभयपुरा तालाब के पाल के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा
30. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री शंकरी बाई जाति लश्करी निवासी ग्राम अभयपुरा तालाब के पाल के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा
31. रूकमणी पुत्री स्व0 शंकरी बाई पत्नी रमेश जाति लश्करी निवासी नयागांव खलियान बस्ती, किशनपुरा तकिया रंगपुर रोड तहसील लाडपुरा जिला कोटा
32. चम्पा बाई पत्नी स्व0 फूलचन्द
33. चन्द्रमोहन सिसोदिया पुत्र स्व0 फूलचन्द
34. कुन्जबिहारी पुत्र स्व0 फूलचन्द
35. कृष्णा उर्फ पिंकी पुत्री स्व0 फूलचन्द निवासीगण मकान नम्बर बी–42/33 जयहिन्द नगर, बारां रोड पुलिस लाईन कोटा
36. अशोक कुमार शर्मा पुत्र केशवराम शर्मा जाति ब्राह्मण
37. प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण 103 आनन्द भवन कोटा जंक्शन कोटा
38. राकेश आहूजा पुत्र श्री कृष्णलाल आहूजा जाति सिंधी निवासी मदान कोटेज स्टेशन रोड कोटा जंक्शन कोटा
39. नगर विकास न्यास कोटा जर्ये सचिव कोटा
40. इन्द्राबाई पत्नी धनराज जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा
41. गीताबाई पत्नी पूरणमल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
42. मोहनीबाई पत्नी सुखलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
43. लक्ष्मीबाई पत्नी श्री कजोडीमल जाति लश्करी जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

44. आनन्दी बाई पत्नी धन्नालाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
45. देवेन्द्र कौर पत्नी सुखविन्दर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी गुरूनानक फार्म ग्राम देवली अरब, बारां रोड कोटा
46. सुनीता पत्नी श्री अमृतपाल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी देवली अरब कोटा
47. राजस्थान सरकार जरिये अधिकृत प्रतिनिधि तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 85 दिनांक 05.02.1983ग्राम नयानोहरा तहसीलदार लाडपुरा .

उस्थितिः—

1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 45,46
3. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 29,30,31,32,33,35

निर्णय

दिनांक— 07.10.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा खातेदार तुलस्या पुत्र नारायण जाति लश्करी के ग्राम नयानोहरा स्थित खाता सं0 38 की आराजी किता—8 की कुल रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार तुलस्या पुत्र नारायण फौत होने पर मुताबिक विरासत का नामान्तरकरण संख्या 85 दर्ज करते हुए दिनांक 5.2.1983 को आदेश जारी किया कि—'' जल्से आम तथा सरपंच पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार तुलस्या का फौत होना तस्दीक हुआ, अतः मृतक का नाम खाते से खारिज हो उसके बजाय रामलाल, रामचन्द्र व बेवा पन्नी बाई तथा मृतक पुत्र रतनलाल के बजाय प्रभूलाल पुत्र तथा पुत्री बालीबाई के नाम दर्ज खाता किया जावें । कर दिनांक 05.02.1983 को स्वीकृत किया गया ।
2. उक्त नामान्तरकरण आदेश की अप्रसन्नता में अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ जरिये अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के पेश कर कथन किया कि अपीलांट कम 1 के पिता एवं अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम पुत्र मोती जी थे जिनका देहावसान हो चुका है एवं अपीलांट कम 1 की माता पन्नीबाई एवं अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 की नानी का भी निधन हो चुका है । अपीलांट कम 1 तुलस्या उर्फ तुलसीराम की पुत्री व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 मृतक तुलस्या उर्फ तुलसीराम की पुत्री बसन्ती के विधिक वारिस है और रेस्पोडेन्ट कम 24 लगायत 27 मृतक तुलस्या की पुत्री कंचन के विधिक वारिस है और रेस्पोडेन्ट कम 28 तुलस्या की पुत्री है व रेस्पो0 कम 29 लगायत 32 तुलस्या की पुत्री शंकरी के विधिक वारिस व कायम मुकामान है व रेस्पोडेन्ट कम 32 लगायत 35 शंकरी के पुत्र फूलचन्द के विधिक वारिस कायम मुकामान है । अपीलान्ट कम 1 के पिता व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम पुत्र मोती जी के खातेदारी व कब्जे काश्त में खाता संख्या 98 की आराजी किता—8 कुल रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा स्थित रही है । अपीलान्ट कम 1 के पिता व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम पुत्र मोती जी की मद नम्बर 6 में वर्णित उक्त अपील विषयक आराजी के अतिरिक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.10 हे0 वाके ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा स्थित रही है । मद नम्बर 6 में वर्णित आराजी अपीलान्ट कम 1 की माता व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम के खाते की कृषि आराजी है जो कानूनन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पुत्रिया व पुत्र व पत्नी को विरासत में प्राप्त हुई । अपीलान्ट कम 1 व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 की नानी का निधन हो

जिला कलेक्टर
कोटा

चुका है । उक्त वर्णित आराजी में अपीलान्ट्स का जन्म से हक व हिस्सा अधिकार निहित है । तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को कि मृतक तुलस्या के पांच पुत्रियों देवरी बाई व बसन्ती, कंचन, हरली, शंकरी मौजूद थी, को अनदेखी करते हुये राजस्व नियमों के विपरीत प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । सम्मन बाद प्राप्ति के पत्रावली संलग्न है । रेस्पोडेन्ट नं0 29,30,31,32,33,35 की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर का एवं रेस्पो0 नं0 45,,46 की ओर से श्री रघुवीर सिंह राठौड़ का, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 10, 13,14, एवं 40 से 43 की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश प्रजापति का एवं रेस्पो0 नं0 39 की ओर से श्री शंभूदयाल विजय का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नं0 14,15, की ओर से अभिभाषक मुकेश मीणा द्वारा अण्डरटेकिंग पेश की गई, शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि । अपीलान्ट कम 1 के पिता व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम पुत्र मोती जी की मद नम्बर 6 में वर्णित उक्त अपील विषयक आराजी के अतिरिक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.10 हे0 वाके ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा स्थित रही है । मद नम्बर 6 में वर्णित आराजी अपीलान्ट कम 1 की माता व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम के खाते की कृषि आराजी है जो कानूनन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पुत्रिया व पुत्र व पत्नी को विरासत में प्राप्त हुई । अपीलान्ट कम 1 व अपीलान्ट कम 2 लगायत 5 की नानी का निधन हो चुका है । उक्त वर्णित आराजी में अपीलान्ट्स का जन्म से हक व हिस्सा अधिकार निहित है । तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को कि मृतक तुलस्या के पांच पुत्रियों देवरी बाई व बसन्ती, कंचन, हरली, शंकरी मौजूद थी, को अनदेखी करते हुये राजस्व नियमों के विपरीत प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । कानूनन तुलस्या उर्फ तुलसीराम पुत्र मोती जी के निधन के पश्चात अपील की मद नम्बर 6 में वर्णित कृषि आराजी राजस्व रिकार्ड में उनके सभी वारिस व उत्तराधिकारी उनके पुत्र पुत्रिया व पत्नी का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने रामलाल, रामचन्द्र व बेवा पन्नी बाई व प्रभूलाल कालीबाई से मिलीभगत कर तथा अपीलान्ट कम 1 व उसकी बहनों के अनपढ होने का फायदा उठाकर तुलस्या उर्फ तुलसीराम जी के मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से केवल मात्र रामलाल, रामचन्द्र, पन्नी बाई बेवा तुलस्या मृतक पुत्र रतनलाल रतनलाल के वारिस प्रभूलाल, बाली के नाम दर्ज किया गया, इन्द्राज पूर्णतया गलत व गैर कानूनी एवं अवैधानिक है जबकि अपील विषयक में वर्णित आराजी का इन्तकाल तुलस्या उर्फ तुलसीराम जी के निधन के पश्चात उनके सभी वारिसान व उत्तराधिकारियों के नाम स्वीकृत किया जाना था । अपील विषयक आराजी अपीलान्ट कम 1 के पिता व अपीलन्ट कम 2 लगायत 5 के नाना तुलस्या उर्फ तुलसीराम के खाते की आराजी है जिसके अपीलान्ट कम 1 व उसकी बहनों का हक हिस्सा व अधिकार निहित है अकेले रामलाल, रामचन्द्र रतनलाल के वारिस व पन्नीबाई को उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये गये गलत व गैरकानूनी नाम से उक्त आराजी पर कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । उक्त अपील विषयक आराजी में कानूनन अपीलान्ट कम 1 ने तथा उसकी बहने कंचन, बसन्ती, हरली, शंकरी का हक हिस्सा व अधिकार निहित है तो रामचन्द्र, रामलाल, रतनलाल के वारिस प्रभूलाल, बाली बाई व पत्नी को उक्त आराजी में पूण रूप से समस्त हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जबकि रामलाल, रामचन्द्र व रतनलाल के वारिसान व पत्नी को उक्त अपील विषयक सम्पूर्ण आराजी में समस्त हक अधिकार प्राप्त नहीं होते तो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य व अधिकारिता विहिन बंटवारा के आधार पर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 31 वाके ग्राम नयानोहरा के बाद सेटलेन्ट नये नम्बर 52 कायम किये गये जिसे रामचन्द्र, रामलाल ने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों

जिला कलेक्टर
कोटा

से मिलीभगत करते हुए नायब सिंह पुत्र मुकन्द सिंह व गुरूविन्द्र कौर जोजे नायब सिंह के नाम विधि विरूद्व रूप से नाम दर्ज करवा दिया जिससे उक्त व्यक्तियों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और उक्त व्यक्तियों के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 52 गलत व गैर कानूनी रूप से राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुये अपना नाम हटवा लिया और वर्तमान में गलत व अवैधानिक रूप से उक्त आराजी खसरा नम्बर 52 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे देवेन्द्र कौर व सुनीता के नाम कर दिया है और रामलाल, रामचन्द्र बाली, पन्नी के नाम उक्त समस्त इन्द्राज क्रमश पूर्णतया गेर कानूनी व प्रारम्भ से ही शून्य है जिससे रेस्पोडेन्ट क्रम 45 देवेन्द्र कौर व रेस्पो0 क्रम 46 सुनीता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है व अकेले रामलाल, रामचन्द्र प्रभूलाल, बाली बाई पन्नी को उक्त वर्णित आराजी में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते है । रामलाल, रामचन्द्र व प्रभूलाल, बाली बाई पन्ना बाई ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज आराजी खसरा नम्बर 16 के बाद सेटलमेन्ट नये नम्बर 17 का अपने नाम दर्ज करवा लिया उक्त इन्द्राज पूर्णतया गेर कानूनी व प्रारम्भ से ही शून्य है, उक्त खसरा नम्बर 17 की आराजी को जर्ये बैयनामा रेस्पोडेन्ट क्रम 36 लगायत 38 व विभिन्न व्यक्ति के खाते दर्ज करवा दिया, वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 36 लगायत 39 के खाते दर्ज होने से उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है । तुलस्या का फौती इंतकाल तत्कालीन राजस्व अधिकारियें द्वारा नैसर्गिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट क्रम 1 व अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 की माता तथा रेस्पो0 क्रम 24 लगायत 27 की माता कंचन व 29 लगायत 31 की माता शंकरी व हरली का इन्द्राज नहीं करवाते हुए अपील में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में रामलाल, रामचन्द्र, पन्नी बाई व प्रभूलाल, बाली के नाम नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 5.2.1983 को स्वीकृत फरमा दिया गया जिस पर अपीलान्ट अपने हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त अपील में वर्णित आरजी में अपीलान्ट क्रम 1 व अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 की माता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत फरमा दिया जिससे अपीलान्ट के हिस्सा व अधिकारों का हनन हुआ है । रेस्पो0 नं0 1 लगायत 23 द्वारा अपील विषयक भूमि के मुनाफा काश्त की राशि अपीलान्ट को दी जाती रही है, अभी हाल में रेस्पो0 नं0 1 लगायत 23 ने मुनाफा काश्त की राशि अपीलान्ट को अदा नहीं करने पर अपीलान्ट द्वारा इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 20.2.2024 को आवेदन कर दिनांक 01.3.2024 को प्राप्त होने पर प्रश्नगत इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी होने पर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील विषयक इंतकाल निरस्त फरमाया जावें एवं तुलस्या उर्फ तुलसीराम की पुत्रियों के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावें । अपीलांट द्वारा अपील में कथनों के समर्थन में एवं मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1994 (604), RRD1991 (492), RRT 2012 (2) (850), RBJ 2017 (577), RBJ 2008(15) प्रस्तुत किये है । साथ ही वकील अपीलांट द्वारा पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय सिविल अपील नं0 188–1889 –2018 सुप्रिम कोर्ट, 2020 (2)CJ (civ)SC page 479 प्रस्तुत की गई । तथा लिमिटेशन के सम्बन्ध में RRT 2017(2)page 1104 प्रस्तुत की गई ।

5- वकील रेस्पोडेन्ट नं0 45 व 46 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 5.2.1983 ग्राम नयानोहरा के विरूद्व दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत की गई है, जो 41 वर्ष मियाद बाहर पेश की है, ऐसा नहीं है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलांटगण को जानकारी नहीं थी । 41 वर्ष विलम्ब को कन्डोन करने के पर्याप्त आधार अपील के संलग्न नहीं है । अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है । वैसे भी नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, इसमें हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता है, हकों के निस्तारण नियमित वाद के जरिये ही संभव है । वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 45,46 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सम्बन्धित खातेदार से खरीद की गई है, तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि हमारे नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति में इस अपील के जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । वकील रेस्पोडेन्ट नं0 45,46 ने अपील के मियाद बाहर होने का कथन किया है तथा मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में एवं अपने कथनों के समर्थन में

जिला कलेक्टर
कोटा

न्यायिक दृष्टान्त RRT 2008(2) Page 1081, RRT 2009(2) Page 1179, RRT 2017(1) Page 117, RRT 2012(1) Page 374, RRT 2018(2) Page 1552 प्रस्तुत किये है ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं0 29,30,31,32,33,35 के अभिभाषक ने अपन बहस में अन्य कथन नहीं कर अपीलांट के कथनों का ही समर्थन किया है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम नयानोहरा स्थित खाता सं0 38 की आराजी किता–8 की कुल रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार तुलस्या पुत्र नारायण फौत होने पर मुताबिक विरासत का नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 5.2.1983 मृतक तुलस्या उर्फ तुलसीराम के बजाय उसके वारिस पुत्र रामलाल, रामचन्द्र व बेवा पन्नी बाई तथा मृतक पुत्र रतनलाल के बजाय प्रभूलाल पुत्र तथा पुत्री बालीबाई के नाम दर्ज खाता किया गया । उक्त नामान्तकरण के विरूद्व अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.03.2024 को लगभग 41 वर्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, इतने अधिक विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में मुख्य कारण बताया कि रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 23 ने मुनाफा काश्त की राशि अपीलान्ट को अदा नहीं करने पर इंतकाल की नकल हेतु आवेदन करने एवं दिनांक 01.03.2024 को नकल प्राप्त होने पर प्रथम जानकारी होना बताया है जो मानने योग्य नहीं है, चूंकि पिता के फौत होने की पुत्रियों को पूर्ण जानकारी थी तथा उनके खाते की भूमि उनके पुत्रों के नाम होने की जानकारी 41 वर्ष तक नहीं हो यह सम्भव नहीं है । विलम्ब के लिए ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये है । वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 1994 (604) प्रस्तुत की है जिस अनुसार जहां गुणावगुण का बिन्दु मौजूद हो वहां मियाद का बिन्दु मायने नहीं रखता है किन्तु इस अपील प्रकरण में खसरा नं0 52 की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्तरण हो चुकी है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज से अन्तरण होकर रेस्पोडेन्ट नं0 45, 46 के नाम दर्ज होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण को इस अपील के जरिये खारिज नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत न्यायिक निर्णय पूर्णरूप से इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब 41 वर्ष की अवधि को कन्डोन किया जाने एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त एवं उचित आधार पत्रावली पर नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अपीलांट का यह भी तर्क है कि खातेदार तुलस्या उर्फ तुलसीराम की हिस्से की अन्य नामान्तकरण संख्या 73 में तो पुत्रीयों का नाम दर्ज कर दिया ओर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 85 में नहीं किया है । इस सम्बन्ध में दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 5.2.1983 में स्वीकृत किया गया था ओर जिस अन्य नामान्तरकरण की अपीलान्ट बात कर रहे है वह 18.05.1992 को तस्दीक किया गया है जो अपीलाधीन नामान्तरकरण के 9 वर्ष बाद का है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 52 की रकबा 3.86 हे0 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रेस्पोडेन्ट नं0 45 व 46 को कर दिया जाने से तथा भूमि रेस्पो0 नं0 45, 46 के नाम दर्ज है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निरस्त किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता हैं । अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रेस्पोडेन्ट नं0 45,46 के नाम अन्तरण हो जाने से इस अपील के जरिये नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता हैं जब तक कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता । अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं खसरा नम्बर 52 की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्तरण की जाने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

9. निर्णय आज दिनांक 7.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा